रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2007/कार्तिक 21, 1929 [रा.रा.रा.क्षेत्र दि. 216
No. 193] DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2007/KARTIKA 21, 1929 [N.C.T.D. No. 216

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 12 नवम्बर, 2007

सं. फा. 21(67)/आर.आर./2005/प्रशा./821.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् :—

1. इस सरकार के वाणिज्यिक एवं सचिवीय संस्थान, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय में व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता लेखा पद्धति तथा व्याख्याता सचिवीय पद्धति के पदों पर नियुक्ति के लिये आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्न अनुसूचियों में नियम बनाते हैं, तथा

2. दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 2/5 मई, 1968 की अधिसूचना संख्या 2(27)/67-सेवाएं (ग) तथा दिनांक 29 जुलाई, 1968 की अधिसूचना संख्या 2(27)/67-सेवाएं (ग) के अनुसार अधिसूचित इस सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत वाणिज्यिकी एवं सचिवीय संस्थान में व्याख्याता अंग्रेजी, लेखा पद्धति तथा सचिवीय पद्धति के पदों के भर्ती नियम रद्द करते हैं ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
व्याख्याता अंग्रेजी	01* (2007) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है ।	समूह 'ख', सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित/ अलिपिकीय	5500-175-9000 रुपए	गैर चयन	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) । **नोट** : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले के पांगी सब-डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य :- 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष **टीप. 1** :-अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय हैं ।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(8)
टीप. 2 :—यदि चयन की किसी अवस्था में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय हैं ।

यदि प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
(12)	(13)	(14)
लागू नहीं	**समूह "ख" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिये)** 1. वित्त आयुक्त —अध्यक्ष 2. विभाग के प्रशासनिक सचिव —सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्र. व तक. शिक्षा) —सदस्य 4. अनु.जा./अनु.ज.जा. से संबंधित कोई अधिकारी जो दिल्ली सरकार में अतिरिक्त जिलाधीश/उप-सचिव की रैंक से कम न हो. —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
व्याख्याता लेखा पद्धति	02* 9(2007) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है ।	समूह 'ख', सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित/ अलिपिकीय	5500-175-9000 रुपए	गैर चयन	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) । **नोट** : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य :– 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उन्नत लेखा पद्धति सहित वाणिज्यकी में मास्टर डिग्री या समकक्ष 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष **टीप. 1** :–अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं । **टीप. 2** :–यदि चयन की किसी अवस्था में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अभिमत से अनुसूचित जाति/जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय हैं	लागू नहीं	सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(12)	(13)	(14)
लागू नहीं	**समूह "ख" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी-करण पर विचार करने के लिये)** 1. वित्त आयुक्त –अध्यक्ष 2. विभाग के प्रशासनिक सचिव –सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्र. व तक. शिक्षा) –सदस्य 4. अनु.ज./अनु.ज.जा. से संबंधित कोई अधिकारी जो दिल्ली सरकार में अतिरिक्त जिलाधीश/उप-सचिव की रैंक से कम न हो –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
व्याख्याता सचिवीय पद्धति	03*(2007) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है	समूह 'ख', सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित/ अलिपिकीय	5500-175-9000 रुपए	गैर चयन	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) । **नोट** : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

	(7)
	मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य :– 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम कॉम या समकक्ष 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से सचिवीय पद्धित में डिप्लोमा/आई.टी.आई. प्रमाण पत्र 3. सम्बद्ध क्षेत्र में एक वर्ष का अध्यापन अनुभव **टीप. 1 :**–अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय हैं **टीप. 2 :**–यदि चयन की किसी अवस्था में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अभिमत से अनुसूचित जाति/जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के विवेक पर शिथिलनीय हैं ।	लागू नहीं	सीधी भर्ती वाले प्रत्याशियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(12)	(13)	(14)
लागू नहीं	**समूह "ख" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायी-करण पर विचार करने के लिये)** 1. वित्त आयुक्त –अध्यक्ष 2. विभाग के प्रशासनिक सचिव –सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्र. व तक. शिक्षा) –सदस्य 4. अनु.ज./अनु.ज.जा. से संबंधित कोई अधिकारी जो दिल्ली सरकार में अतिरिक्त जिलाधीश/उप-सचिव की रैंक से कम न हो –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मुकेश प्रसाद, संयुक्त सचिव

DIRECTORATE OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 12th November, 2007

No. F. 21/67/R.R./2005-Trg. Admn./821.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27/59/-Him (i) dated the 13th July, 1959, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to,—

1. make the rules in the Schedules annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the posts of Lecturer in English, Lecturer Accountancy and Lecturer in Secretarial Practice in the Commercial and Secretarial Institute under the Directorate of Training & Technical Education of this Government, and

2. to cancel the recruitment rules for the posts of Lecturer in English, Accountancy and Secretarial Practice in the Commercial and Secretarial Institute under the Directorate of Training & Technical Education of this Government notified *vide* notification No. F. 2 (27)/67-Services(C) dated 2/5-May, 1968 and No. F.2 (27)/67-Services(C) dated 29th July, 1968 published in Delhi Gazette.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit (For direct recruits)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lecturer in English	01* (2007) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Non-Selection	Not applicable	Not exceeding 30 years Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshdweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Master's Degree in English from a recognized university or equivalent. (ii) Bachelor of Education from a recognized university or equivalent. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the D.S.S.S.B. in case of candidates otherwise well-qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the D.S.S.S.B. in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the D.S.S.S.B. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by Promotion or by Deputation/Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/Deputation/ Absorption, grades from which Promotion/ Deputation/Absorption to be made.
(11)	(12)
Direct Recruitment	Not Applicable

If a D.P.C exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group "B" D.P.C. (for considering confirmation) : 1. Financial Commissioner — Chairman 2. Administrative Secy. of the Deptt. — Member 3. Joint Secretary (TTE) — Member 4. An officer belonging to SC/ST community not below the rank of ADM/Dy. Secy. in Government of NCT of Delhi — Member	Consultation with U.P.S.C. not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lecturer in Accountancy	02* (2007) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Non-Selection	Not applicable	Not exceeding 30 years Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshdweep.

(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Master's Degree in Commerce with Advance Accountancy from a recognized university or equivalent. (ii) Bachelor of Education from a recognized university or equivalent. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the D.S.S.S.B. in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the D.S.S.S.B. in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the D.S.S.S.B. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits

(11)	(12)
Direct Recruitment	Not Applicable

(13)	(14)
Group "B" D.P.C. (for considering confirmation) : 1. Financial Commissioner — Chairman 2. Administrative Secy. of the Deptt. — Member 3. Joint Secretary (TTE) — Member 4. An officer belonging to SC/ST community not below the rank of ADM/Dy. Secy. in Government of NCT of Delhi — Member	Consultation with U.P.S.C. not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lecturer in Secretarial Practice	03* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Non-Selection	Not applicable	Not exceeding 30 years Relaxation for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep.

(8)	(9)	(10)
Essential : (i) M.Com. from a recognized university or equivalent. (ii) Diploma/I.T.I. certificate in Secretarial Practice from recognized institute or equivalent. (iii) One year teaching experience in the relevant field. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the D.S.S.S.B. in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the D.S.S.S.B. in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the D.S.S.S.B. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruitment

(11)	(12)
Direct Recruitment	Not Applicable

(13)		(14)
Group "B" D.P.C. (for considering confirmation) :		Consultation with U.P.S.C. not necessary.
1. Financial Commissioner	—Chairman	
2. Administrative Secy. of the Deptt.	—Member	
3. Joint Secretary (TTE)	—Member	
4. An officer belonging to SC/ST community not below the rank of ADM/Dy. Secy. in Government of NCT of Delhi	—Member	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the NCT of Delhi,

MUKESH PRASAD, Jt. Secy.

ऊर्जा विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 12 नवम्बर, 2007

सं. फा. 11(46)/2002-ऊर्जा/2809.–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री आर. चन्द्रमोहन, आई.ए.एस. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल दिल्ली, को श्री एस. एन. सहाय, आई. ए. एस. के स्थान पर दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड, इन्द्रप्रस्था पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड तथा प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

DEPARTMENT OF POWER

NOTIFICATIONS

Delhi, the 12th November, 2007

No. F. 11(46)/2002/Power/2809.—Lt. Governor of Delhi is pleased to appoint Shri R. Chandramohan, IAS, Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi as ex-officio Director of Delhi Transco Limited, Delhi Power Company Limited, Indraprastha Power Generation Company Limited and Pragati Power Company Limited in place of Shri S. N. Sahai, IAS.

सं. फा. 11(29)/2002-ऊर्जा/2810.–इस सरकार की दिनांक 8 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. फा. 11(29)/2002/ऊर्जा/2159 के आंशिक आशोधन में तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. फा. यू.-11030/2/2003-यू.टी.एल. के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्द्वारा श्री जे. आर. आर्यन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिल्ली को, श्री एस. सी. राजन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से विकासपुरी विशेष विद्युत न्यायालय पश्चिमी जिले से संबंधित बी एस ई एस राजधानी पावर लि. के अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 से 139 में उल्लिखित अपराधों से संबंधित मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए गठित विशेष न्यायालय के संचालन के लिए नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संदीप कुमार, अतिरिक्त सचिव

No. F. 11(29)/2002/Power/2810.—In partial modification of this Government's Notification No. F. 11(29)/2002/Power/1796 dated the 8th September, 2006 and in exercise of the powers conferred by Section 153 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification F.No.U-11030/2/2003/UTL dated the 20th February, 2004, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the concurrence of the Hon'ble High Court of Delhi, hereby appoints Mr. J.R. Aryan, Additional Session Judge, as the Presiding Officer for the Special Court constituted under the Electricity Act, 2003, in place of Mr. S. C. Rajan, Additional Session Judge, to try cases pertaining to offences referred to in Section 135 to Section 139 of the said Act, arising out of jurisdiction of BSES Rajdhani Power Limited, at Vikaspuri Special Electricity Court relating to west district, with effect from the date he takes over the charge.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANDEEP KUMAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.